

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/18327

दिनांक 4/2/19

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री बनवारी लाल बैरवा	सफाई निरीक्षक II	बधाना	लालसोट
2	श्री राहुल कुमार मल्होत्रा	फायरमैन	अजमेर	दौसा
3	श्रीमती सुमन कुमारी	फायरमैन	बीकानेर	लक्ष्मणगढ
4	श्री बृजनाथ मिश्रा	पर्चावितरक	अनूपगढ	एपीओ निदेशालय
5	श्री भगवान सहाय बैरवा	फायरमैन	सवाई माधोपुर	लालसोट

विभागीय आदेश क्रमांक प.1ग()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/446-460 दिनांक 18.01.2019 के क्रम संख्या 03 पर अंकित श्रीमति सीता प्रजापति, वरिष्ठ लिपिक का नगर पालिका जैतारण से एपीओ निदेशालय किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति यथावत संबंधित निकाय में देवे।

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/18328-18354 दिनांक 4/2/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग,
05. महाचौर/अध्यक्ष/सभापति/आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका
06. संबंधित कर्मचारी
07. सूक्षित पत्रावली।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)